भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 665

मंगलवार, 03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

बिहार में औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र

665. श्री तारिक अनवरः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार में, विशेषकर सीमांचल क्षेत्र (किशनगंज, अररिया, कटिहार एवं पूर्णिया) में औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र की वर्तमान स्थिति का आकलन करने हेतु हाल में कोई अध्ययन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त क्षेत्र को 'मेक इन इंडिया', औद्योगिक कॉरिडोर आदि जैसी सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में रोजगार सृजन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु निवेश आकर्षित करने तथा बेरोज़गारी की समस्या के समाधान के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ठोस एवं समयबद्ध कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): औद्योगिक क्षेत्र के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, जो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय करते हैं। केंद्र सरकार, बिहार सहित पूरे देश में उद्योगों के समग्र विकास और संवर्धन के लिए, विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों को पूरक रूप में सहयोग प्रदान करती है। इन पहलों में निवेश संवर्धन स्कीम, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (ईओडीबी) तथा अनुपालन बोझ को कम करने से संबंधित पहलें, औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोरों के अंतर्गत एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी), स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय

अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस), भारत औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में सुधार, परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) आदि शामिल हैं, जो देश भर में प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना को सुविधाजनक बनाते हैं।

बिहार सरकार ने संसूचित किया है कि सीमांचल क्षेत्र जिसमें किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया शामिल है, मेक इन इंडिया के अनुरूप सरकार की निवेश संवर्धन पहलों के अंतर्गत लाभान्वित हुआ है। इन चार जिलों में खाद्य प्रसंस्करण, सामान्य विनिर्माण, वस्त्र एवं चमड़ा, प्लास्टिक एवं रबर आदि क्षेत्रों में लगभग 1041.01 करोड़ रुपए के कुल प्रस्तावित निवेश के साथ कुल 66 औद्योगिक इकाइयों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, बिहार सरकार ने यह भी संसूचित किया है कि कुल 44,452 रोजगार अवसर सृजित हुए हैं, जिनमें से 39,404 विनिर्माण क्षेत्र में तथा 5,048 सेवा क्षेत्र से संबंधित हैं।

इसके अतिरिक्त, बिहार सरकार ने नए औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन पैकेज (बीआईआईपीपी), 2025 को अधिसूचित किया है, जो दिनांक 31.03.2026 तक वैध है। यह पैकेज पात्र उच्च प्राथमिकता एवं रोजगार-प्रधान परियोजनाओं के लिए पूंजी सब्सिडी, ब्याज सहायता, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, रोजगार सृजन प्रोत्साहन, निर्यात प्रोत्साहन तथा 1 रुपए प्रति एकड़ की सांकेतिक दर पर औद्योगिक भूमि का आवंटन जैसी प्रोत्साहन सुविधाएं प्रदान करता है, साथ ही बड़ी और व्यापक परियोजनाओं के लिए अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज भी उपलब्ध कराता है।

सरकार, बिहार सहित पूरे देश में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें लागू कर रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) और उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस), और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) जैसी तीन प्रमुख स्कीमों को लागू कर रही है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में फंडिंग के अवसर और सहायता प्रदान की जा सके। एफएफएस को उद्यम पूंजी निवेश की प्रक्रिय में रफ्तार

लाने के लिए स्थापित किया गया है और इसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित किया जाता है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा -पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) को पूंजी प्रदान करता है, जो आगे इस पूंजी को स्टार्टअप्स में निवेश करता है।

सहायता प्राप्त वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) ने 31 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, देशभर के 1,371 स्टार्टअप्स में लगभग 25,547.98 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसमें से, 31 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, बिहार राज्य के स्टार्टअप में 196.06 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) इन्क्यूबेटरों के माध्यम से शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एसआईएसएफएस 1 अप्रैल, 2021 से लागू है। इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त इन्क्यूबेटरों ने 31 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, 3,271 स्टार्टअप्स को लगभग 590.93 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इसमें से, 31 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, बिहार राज्य के स्टार्टअप्स को 8.78 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्टार्टअप हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) पात्र वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्टार्टअप्स के ऋण वित्तपोषण हेतु लागू की गई है। सीजीएसएस को राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है और इसे 1 अप्रैल, 2023 से प्रारंभ किया गया है। 31 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, स्टार्टअप उधारप्राप्तकर्ताओं को सीजीएसएस के तहत लगभग 808.18 करोड़ रुपए के 334 ऋणों की गारंटी प्रदान की गई है। इसमें से 31 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति को अनुसार बिहार राज्य के स्टार्टअप उधारप्राप्तकर्ताओं को 28 लाख रुपए की गारंटी प्रदान की गई है।

31 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स द्वारा 21.9 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए जाने की सूचना प्रदान की है। विशेष रूप से बिहार राज्य में, डीपीआईआईटी द्वारा 4,565 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2025 तक 40,400 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए जाने की जानकारी प्रदान की है।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (एकेआईसी) के हिस्से के रूप में बिहार राज्य में 1,670 एकड़ भूमि पर गया

में एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) के विकास को अनुमोदन प्रदान किया है। आंतरिक प्रमुख अवसंरचना के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कुल परियोजना लागत (भूमि लागत सहित) 1,339 करोड़ रुपए है जिससे 16,524 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश और लगभग 1 लाख रोजगारों के सृजन होने की संभावना है।

ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस के लिए, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इन पहलों का उद्देश्य व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी), बी-रेडी मूल्यांकन, जन विश्वास और व्यवसायों एवं नागरिकों पर अनुपालन बोझ कम करना और विनियमन की लागत के मापन सहित व्यावसायिक विनियमों को सरल और सुव्यवस्थित करना है। विनियामक अनुपालन बोझ (आरसीबी) पहल के तहत, विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नागरिकों और व्यवसायों पर अनुपालन बोझ कम करने में सहायता की जाती है। इसका लक्ष्य चार प्रमुख रणनीतियों के माध्यम से ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ाना है: प्रक्रियाओं का सरलीकरण, कानूनों का युक्तिकरण, प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और गौण अपराधों को गैर-अपराधीकृत करना। अनुपालन बोझ को कम करने के लिए मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई कार्रवाई पर नज़र रखने के लिए विनियामक अनुपालन (आरसी) पोर्टल तैयार किया गया है।

बिहार राज्य तथा विशेष रूप से सीमांचल क्षेत्र (किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया) में औद्योगिक ईकोसिस्टम की स्थिति का आंकलन करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं करवाया गया है।

*****